

फट अटकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकांशी एवं पट्टन सहायक कलेक्टर सुजानागढ़

पीठासीन अधिकांशी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

बाद पत्र- अन्तर्गत धारा 88 आर्टीए व 136 एलआर एक्ट

सं. नं.

6/11/2019

तारीख

30.07.2019

हुकम की कार्यवाही मय इतिहास जल

नम्बर व तारीख
अटकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

यह बाद पत्र राजस्थान कायलकशी अधिनियम की धारा 88 व म राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत बाड़ी भूखण्ड पुनर्स्थापना जालि स्वामी शोभास्यर तहसील सुजानागढ़ ने बाद पत्र केंद्र कोट सालास्यर में प्रस्तुत किया गया। बाद पत्र की कार्यवाही मुंतिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाई। प्रकरण में सीडीपी तय्य इस प्रकार से है कि ग्राम शोभास्यर की खसरा संख्या 1816/1808 नया खाला खख्या 88 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में भूखण्ड पुनर्स्थापना जालि स्वामी शोभास्यर दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का नाम आशार कर्त परिय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम भूखण्ड पुनर्स्थापना जालि स्वामी शोभास्यर है। प्रार्थी का नाम भूखण्ड पुनर्स्थापना जालि स्वामी शोभास्यर रिकार्ड में दर्ज है। जो श्रद्ध किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाड़ी द्वारा प्रस्तुत बादपत्र व दस्तावेजाला एवं म-अभिलेख निरीक्षक सालास्यर की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सालास्यर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान कायलकशी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार म ग्राम शोभास्यर तहसील सुजानागढ़ व जिला बूक की खसरा नं. 1816/1808 में नया खाला संख्या 88 में दर्ज प्रविष्टि की निम्नलिखित रूप से श्रद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिव जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अग्रद्ध प्रविष्टि)	आदेश (श्रद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	शोभास्यर	88	भूखण्ड पुनर्स्थापना जालि स्वामी शोभास्यर	भूखण्ड पुनर्स्थापना जालि स्वामी शोभास्यर

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानागढ़ को भिजाई जाये। पत्रावली निर्णय में शामिल होकर इस खाला दर्जिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को मसे द्वारा लिखाया जाकर केंद्र कोट सालास्यर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकांशी एवं पट्टन सहायक कलेक्टर सुजानागढ़

30/7/19